

वार्ड 3, 7, 8, 17, 18 व 19 में जीरो वेस्ट का कार्य निरंतर जारी जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मिल रहा भरपुर सहयोग

रतलाम 11 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 17, 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

जीरो वेस्ट वार्ड 3, 7, 8, 17, 18 व 19 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पहुंचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग—अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 10 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

50 माईक्रोॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 11 मार्च । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रोॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नागरिकों एवं दुकानदारों द्वारा गंदगी करने व 50 माईक्रोॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग करने पर 10 मार्च को नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा खण्डेलवाल नमकीन स्टेशन रोड पर 1500, रामचन्द्र व एक अन्य चांदनी चौक पर 500-500, अन्नपूर्णा चाय गौशाला रोड, संजय फीगंज, छप्पन भोग कालिका माता पर 250-250, रामजी बाजना बस स्टैण्ड पर 100, राधा, इमरान दो बत्ती व एक अन्य गौशाला रोड पर 50-50 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में गंदगी न करने व 50 माईक्रोॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल—फ्रुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रोॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का

अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

सायर चबुतरा के पास 12 मार्च को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 51,71,144/- संपत्तिकर व 11,59,215/- जलकर जमा कराया

रतलाम 11 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/-, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/- व जलकर 44,230/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,07,000/- व जलकर 33,940/-, जूनि कोर्ट किरण टॉकिंज शिविर में संपत्तिकर 1,84,000/- व जलकर 56,350/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 86,000/- व जलकर 35,140/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,16,000 व जलकर 57,670/-, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 69,000/- व जलकर 21,185/-, पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 3,50,000/- व जलकर 66,865/-, चौगानिया भेरु मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 1,15,000/- व जलकर 25,865/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 51,71,144/- संपत्तिकर व 11,59,215/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16

व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

अनुपस्थित 31 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा कारण बताओ सूचना—पत्र जारी

रत्नाम 11 मार्च। निगम के चारों झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 10 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 31 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 724 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रत्नाम 11 मार्च। रत्नाम नगर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 10 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 724 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 10 मार्च बुधवार को जावरा रोड व डी—मार्ट से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एकट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एकट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले

मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

138 दिनों में 163 वॉल्व व 911 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रत्नाम 11 मार्च । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 10 मार्च तक 163 वॉल्व व 911 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रत्नाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 10 मार्च बुधवार को गोमदड़ की पुल, जवाहर नगर पट्ठी की दुकान के बाहर, सर्वोदय नगर दरगाह के पास, गौशाला के सामने व दीनदयाल नगर साँई मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालों की सूचना दल को दें

रत्नाम 11 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे, मनोज झांझोट, राकेश ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाइल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रत्नाम 11 मार्च। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद हैं। वार्डों में गंदगी, कचरे के

ठेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 11 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नगरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 11 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 11 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ

खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, दुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्र्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लास, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 11.03.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.